नम्बर व
अहकाम
की तामील में

...ायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

...ल संख्या 362/2016

निर्णय दिनांक :–30.03.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :–

1. दुर्गालाल पुत्र श्री भोमा जाति धाकड उम्र बालिग निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. सत्यनारायण पुत्र श्री भोमा जाति धाकड उम्र बालिग निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. यशपाल पुत्र भंवरलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. सुगनपाल पुत्र भंवरलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति

श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए

निर्णय/आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकात की आराजियात खाता नम्बरा 202 ख. नं. 179 रकबा 1.20 है0 वाके तनग्राम चांदली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि पहले अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी खाता सिंख्या 447 ख. नं. 177 रकबा 1.59 है0 वाके तनग्राम चांदली पटवार हल्का चांदली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि में से ही होकर प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से आते–जाते रहे है तथा काश्तकारी करते रहे है। लेकिन मौके पर विधिवत रूप से रास्ता नहीं के कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा अप्रार्थीगण ने वर्तमान में प्रार्थीगण के उक्त वर्णित रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है जिससे प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि में आ जा नहीं पा रहे है। इस कारण उक्त भूमि में से रास्ता

आवश्यक है। उक्त आराजी माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने के कारण इस पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री अशोक कुमार गुप्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। जवाब इस प्रकार है:-चरण नं. 1 स्वीकार है। चरण नं. 2 में ख. नं. 177 प्रतिपक्षीगण की खातेदारी में होना स्वीकार है, शेष जिस प्रकार वर्णित किया है अस्वीकार है। उक्त ख. नं. में से होकर प्रार्थीगण को आने जाने का रास्ता नहीं है बल्कि प्रार्थीगण ख. नं. 1971, 170, व 169 में होते हुए अपनी खातेदारी के उक्त खेत में आते है तथा पूर्वजो के समय से ही उक्त रास्ते से आ जा रहे है। चरण नं. 3, 4, 5 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। उक्त आवेदन में जो अधियाचना चाही गई है वह भी बिल्कुल गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत पर आते जाते है।

तहसीलदार देवली से प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट ली गई। मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी आराजी में पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंचने के रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई ख.नं. 177 में 100 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर =400 वर्ग मीटर अर्थात कुल क्षेत्रफल 0.04 है भूमि होगी। प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान डी.एल.सी दर 4888/-रूपये प्रति एअर है। दुगनी दर से तीनो खसरा नम्बरो की प्रतिकर राशि 39104/- रूपये होगी। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को लाल स्याही से चिन्हित कर दिय गया है। प्रस्तावित रास्ते में किसी प्रकार की दीवार, पेड़ व संरचना नहीं है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता देने हेतु सहमत नहीं है। संलग्न भू. अ. नि छायाप्रति, नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्यतया प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्यतया जवाब के तथ्यो को ही दोहराया।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर पत्रावली व रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2076 अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 221 ख0नं0 179 रकबा 1.20 है0, वाके ग्राम चांदली मे प्रार्थीगण की जोत में कृषि कार्य हेतु जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस बाबत अप्रार्थीगण ने अपने जवाब व बहस में बताया कि प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से ही ख. नं. 1971, 170, व 169 में से अपनी आराजी में आ जा रहा है। अतः अप्रार्थीगण रास्ता देने के लिए सहमत नहीं है। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है और रास्ते में अन्य कोई संरचना दीवार, पेड़ इत्यादि नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार

रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार देवली की रिपोर्ट व ट्रेस अनुसार प्रस्तावित रास्ते की ख. नं. 177 में चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 100 कुल क्षैत्रफल 400 वर्ग मीटर अर्थात 0.04 है0 भूमि की वर्तमान डी. एल सी दर की दुगनी प्रतिकर राशि 39104/– रूपये अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि से गणना कर, जमा करे और रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थी/अप्राथीगण को उनके हिस्से अनुसार प्रदान करे । उक्तानुसार बाद तरमीम रिपोर्ट न्यायालय हाजा में 15 दिवस में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
देवली